फतेहगढ़ पुलिस

प्रेस नोट – थाना मऊदरवाजा

दिनांक :- 14.02.2025

थाना मऊदरवाजा पर पंजीकृत मोटर साइकिल चोरी के अभियोग से सम्बन्धित प्रकाश में आये 02 अभियुक्तों को चोरी गयी मोटर साइकिल सहित किया गया गिरफ्तार ।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर **श्री आलोक सिंह** के निर्देशन, श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर **श्री जोगेन्द्र कुमार** के कुशल पर्यवेक्षण, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक / पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ **श्री आलोक प्रियदर्शी** के मार्गदर्शन, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक **श्री डा0 संजय सिंह** व क्षेत्राधिकारी नगर महोदया **ऐश्वर्या उपाध्याय** के नेतृत्व में अपराध एंव अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना मऊदरवाजा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 0042/2025 धारा 303(2) BNS से सम्बन्धित प्रकाश में आये 02 अभियुक्तों को चैकिंग के दौरान चोरी की गयी मोटर साइकिल सहित गिरफ्तार कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:

1. चौधरी उर्फ रामजी पुत्र महेश निवासी प्रेमनगर कस्बा व थाना अछल्दा जनपद औरैया ।
2. सनी पुत्र राम सिंह नि0 अदिउली थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़ ।

घटना का संक्षिप्त विवरण: दिनांक 13.02.2025 को वादी श्री रणजीत सिंह पुत्र श्री वीरेन्द्र सिंह निवासी ग्राम नगला ताड़ मौजा सरैया थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़ द्वारा थाना मऊदरवाजा पर सूचना दी गयी कि दिनांक 12.02.2025 को उसका भाई एक शादी में अपनी मो0सा0 बजाज पल्सर से दावत खाने गया था जहाँ रात को मैरिज हाल के बाहर से उसकी मो0सा0 को अज्ञात चोरो द्वारा चोरी कर लिया गया। सूचना के आधार पर थाना मऊदरवाजा पर मु0अ0सं0 0042/2025 धारा 303(2) BNS बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया । थाना मऊदरवाजा पुलिस द्वारा चोरी की गयी मो0सा0 बजाज पल्सर व अज्ञात चोरों की तलाश में लगातार चैकिंग की जा रही थी । उसी क्रम में दिनांक 14.02.2025 को मुखबिर खास की सूचना पर एक लाल-काली बजाज पल्सर सवार आते हुये दो व्यक्तियों को रोका गया। पूछताछ करने व मो0सा0 के तस्दीग होने पर अभियुक्तगण 01.चौधरी उर्फ रामजी पुत्र महेश निवासी प्रेमनगर कस्बा व थाना अछल्दा जनपद औरैया 02.सनी पुत्र राम सिंह नि0 अदिउली थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़ को हिरासत पुलिस में लेकर मो0सा0 कब्जे में ली गयी तथा बरामदगी के आधार पर अभियोग में धारा 317(2) BNS की बढोत्तरी की गयी । प्रकरण में अग्रिम विधिक कार्यवाही अमल में लायी जा रही है ।

पूछताछ का विवरण -

अभियुक्तों ने पूछने पर गलती की मांफी मांगते हुये शेष सफाई अपने वकील के माध्यम से मा0 न्यायालय में देने बताया ।

अभियुक्त चौधरी उर्फ रामजी उपरोक्त का आपराधिक इतिहास -

1. मु0अ0सं0 0070/2017 धारा 392 IPC थाना विधुना जनपद औरैया
2. मु0अ0सं0 0138/2017 धारा 392/411/420/467/468 IPC थाना विधुना जनपद औरैया
3. मु0अ0सं0 0159/2017 धारा 379/411/419/420/467/468 IPC थाना फफूंद जनपद औरैया
4. मु0अ0सं0 0221/2017 धारा 3(1) गैगेस्टर एक्ट थाना विधुना जनपद औरैया
5. मु0अ0सं0 0042/2025 धारा 303(2)/317(2) BNS थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़

अभियुक्त राम सिंह उपरोक्त का आपराधिक इतिहास -

1. मु0अ0सं0 0042/2025 धारा 303(2)/317(2) BNS थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़

बरामदगी का विवरण:-

1.मो0सा0 बजाज पल्सर UP76W2775

गिरफ्तार/बरामद करने वाली थाना मऊदरवाजा पुलिस टीम -

1. थानाध्यक्ष श्री बलराज भाटी
2. उ0नि0 श्री अजय कुमार
3. उ0नि0 श्री अक्षय कुमार
4. मु0आ0 366 महेश उपाध्याय
5. आ0 1181 सचिन कुमार
6. आ0 576 विकास कुमार

मीडिया सेल फतेहगढ़

फतेहगढ़ पुलिस

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

कोतवाली कायमगंज | **आजीवन कारावास** | **दि0- 14.02.2025**

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ महोदय के निर्देशन में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारो को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्त रामप्रताप उर्फ गुड्डन उर्फ गुड्डू पुत्र किशन पाल निवासी बकावली थाना सिहदपुरा जनपद कासगंज मु0अ0सं0- 179/2012 वाद सं0- 34/2012 धारा- 302 भा0द0वि0 व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट कोतवाली कायमगंज जनपद फतेहगढ़ में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार /कोर्ट मोहर्रिर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए **दिनांक 14.02.2025 को मा0 न्यायालय एडीजे द्वितीय एससी/एसटी एक्ट कोर्ट फर्रूखाबाद द्वारा अभियुक्त को दोषसिद्ध कर आजीवन कारावास की सजा व 50 हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

एडीजीसी- श्री हरिनाथ सिंह

को0 मो0 का0 बन्टी कुमार

पैरोकार का0विवेक कुमार